कुलसचिव

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ– 226021
दूरभाष: 0522–2732193
फैक्स: 0522–2732185

पत्रांकः– ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / सा0वि0 / 2017 / 700–1295
दिनांकः 15 मई, 2017

College Code 496

सेवा में,
[illegible]

FIT Engineering College,Meerut

[illegible] Vijay Lok Colony, Green Park, Mawana Road, Meerut

[illegible] 2017–18 [illegible] अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

[illegible]

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा [illegible] 2017–18 [illegible] को प्रदान की गयी मान्यता के आधार पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति / उ0प्र0 शासन की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा [illegible] की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 1667 / सोलह–1–2016–13(5) / 2016 दिनांक [illegible] विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 [illegible] में, संस्थान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता के साथ

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	COA/PCI Intake	Affiliation Intake Approved
B.Tech	Civil Engineering	Shift I	60		45
B.Tech	Computer Science and Engineering	Shift I	60		45
B.Tech	Electronics and Communication Engineering	Shift I	60		45
B.Tech	Mechanical Engineering	Shift I	60		45

[illegible] शैक्षिक सत्र 2017–18 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। [illegible] अस्थाई सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:–

1. [illegible] भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली / डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, [illegible] सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन–पाठन / पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक [illegible] विश्वविद्यालय के निरीक्षण [illegible] द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों / मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में [illegible] अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान / प्रबन्धतंत्र का होगा।
2. [illegible] सुविधाओं एवं समायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ–साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा [illegible] किया जा सकता है।
3. [illegible], एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ [illegible] के द्वारा पाठ्यक्रम [illegible] संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना [illegible] द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं पी.सी.आई. / सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा [illegible] होने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, [illegible] उत्तरदायित्व [illegible] संस्थान / प्रबन्धतंत्र का होगा।

4. [illegible], उत्तर प्रदेश शासन / डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश / शुल्क के [illegible] दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य [illegible] साथ ही, संस्थान शिक्षण–प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन / विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से [illegible] संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की [illegible]

5. [illegible] के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचना [illegible] संस्था में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन / विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो [illegible] जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

Validity unknown
Digitally Signed by: [illegible]
Organisation: Personal
State: Uttar Pradesh

6. [illegible] प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम 2010 के अध्याय–6 (सम्बद्धता) [illegible] न [illegible] सुनिश्चित किया [illegible] अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

7. [illegible] 2017 [illegible] नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित

... निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से ... समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा ... मानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूट ... पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

8. ... होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने के दिनांक तिथी से तीन-माह के अन्दर ... की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य करायें। (अध्याय.8.15)

9. ... होने के पश्चात संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को ... सूचित करें। (अध्याय ...)

10 शिक्षक एवं शिक्षणेतर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार ... की जायेगी। (अध्याय 8.25सी.)

11. ... एवं उनके उपकरणों का सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को ... सूचित करायें। (अध्याय 8.13)

12. ... की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित ... (अध्याय ...)

13. संस्था द्वारा छात्रों के लिए गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। ... सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

14. ... अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह ... निरस्त हो जाएगा।

15. ... तथा आर्किटेक्चर ... विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय ... फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2017-18 हेतु मान्यता का अनुमति ... हेतु ... की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता ... होने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। फार्मेसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में ... 2017-18 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रबन्धकीय ... प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायित्व होगा।

16. संस्थान का ... सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में ... मानकों के ... कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

17. ... की अनियमितताओं एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की ... कोई ... की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता तद्कार्यवाही के अधीन होगी।

18. ... द्वारा प्रदेश में ... प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) ... 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धि राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं के अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता ... की कार्यवाही की जायगी।

19. ... छात्रों ... शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशो/आदेशो का ... सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनके सम्बद्धता ... की कार्यवाही की जायेगी।

20. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया है। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को Black List करने की कार्यवाही की जायगी।

21. AMS (Academic Monitoring system) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या ए०प्रा०प्रा०वि०/कुस० का०/2014/4414-21 ... के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।

22. विश्वविद्यालय द्वारा सैद्धान्तिक पूर्व परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ... सुनिश्चित करना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी ... उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय ... प्राप्त ... आवश्यक होगा।

23. ... सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या से न्यून संख्या में उपलब्ध ... एवं ... के न्यूनतर ... परिणाम के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का ... हेतु ... रखा गया है। आगामी सत्र 2018-19 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हे पुर्नजीवित करने या संशोधित करने पर

Validity unknown

[illegible] द्वारा समीक्षा की [illegible]।
[illegible] विशेष के सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के स्तम्भ 4 या 6 (यथा लागू) में स्तम्भ 8 के मूल्य [illegible] प्राप्त की जा सकती है।

[illegible] शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में सम्बद्धता की [illegible] निरस्त [illegible] जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

(राकेश वर्मा)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्त
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. [illegible] सचिव [illegible] कुलाधिपति [illegible] राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. [illegible] सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. [illegible] शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. [illegible] उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. [illegible]